न्यायालय उपायुक्त, लोहरदगा।

(अनुमति वाद संख्या 190 / 2013–14 धारा– 46 सी0 एन0 टी0 एक्ट)

आदेश मुस्ताक आलम v सरकार

28/4/14

आवेदक श्री मुस्ताक आलम पिता स्व0 मो0 रफीक कुरैशी जात कसाब साकिन कुरैशी मुहल्ला, लोहरदगा थाना एवं जिला लोहरदगा के द्वारा सी0 एन0 टी0 एक्ट की धारा –46 के तहत आवेदन पत्र दिया गया है कि उन्हें मौजा नदिया के निम्नलिखित जमीन को बिक्री करने का अनुमति प्रदान की जाय।

आवेदित भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता नं0	प्लाट नं0	रकबा
नदिया	लोहरदगा	195	8	305	में से 0.09 ए0

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र को ग्रहण करते हुए सम्बंधित मौजा के नाम आम ईश्तिहार नोटिश जारी किया गया कि उक्त जमीन को बिक्री करने के विरूद्ध यदि किसी को कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति आवेदन पत्र न्यायालय में उपस्थित हो कर दाखिल करें। साथ ही आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति भेजते हुए अंचल अधिकारी लोहरदगा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति आवेदन पत्र दर्ज नही हुआ।

अंचल अधिकारी लोहरदगा ने अपने पत्रांक 195 दिनांक 24.03.2014 द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है। अंचल अधिकारी लोहरदगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं कि आवेदक के पास कुल 0.708½ एकड़ जमीन है एव जमीन बिक्री करने बाद आवेदित खाता में 0.618½ एकड़ भूमि बचता है। जमीन का वर्तमान मुल्य 48,600/– रू0 प्रति डिसमिल है। आवेदक मकान बनाने एवं बिमारी का ईलाज कराने हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं। जमीन आवेदक के पिता की खरीदगी है। आवेदक खतियानी रैयत नही है। आवेदक के पिता का खतियानी रैयत से क्रेता बिक्रेता का संबंध है। सरकारी रसीद मो0 रफीक कुरैशी के नाम से कटती है। विक्रेता एवं क्रेता थाना लोहरदगा के निवासी है। जमीन का श्रेणी आवासीय हैं।

इस क्रम में आवेदक का भी ब्यान लिया गया आवेदक के द्वारा बतलाया गया कि मौजा नदिया के अन्तर्गत खाता नं0 – 8, प्लाट नं0 – 305 में से रकबा 0.09 एकड़ जमीन को श्रीमती कल्पना देवी पति श्री उपेन्द्र वर्मा जात कहांर साकिन दुर्गाबाड़ी लेन, लोहरदगा थाना एवं जिला लोहरदगा के साथ जमीन की बिक्री 48,600/– रू0 प्रति डिसमिल के दर से कर रहे है। आवेदक मकान बनाने एवं बिमारी का ईलाज कराने हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं।

क्रमश........2

जमीन आवेदक के पिता की खरीदगी है। जमीन बिक्री करने बाद आवेदित खाता में 0.618½ एकड़ भूमि बचता है। सरकारी रसीद मो0 रफीक कुरैशी के नाम से कटती है। जमीन पर आवेदक का दखल कब्जा है जमीन पर कोई विवाद नही है। जमीन बिक्री करने पर किसी का दबाव नही है जमीन बिक्री करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं।

अतः आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र, उनके द्वारा न्यायालय में दिये गये ब्यान तथा अंचलाधिकरी लोहरदगा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा **नदिया** के अन्तर्गत खाता नं0 -- 8, प्लाट नं0 – **305** में से रकबा **0.09 एकड़** जमीन को **श्रीमती कल्पना देवी पति श्री उपेन्द्र वर्मा जात कहांर साकिन दुर्गाबाड़ी लेन, लोहरदगा** थाना एवं जिला लोहरदगा के साथ सी0एन0टी0एक्ट की धारा – 46 के अन्तर्गत उनके निजी दायित्व पर बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

लेखांकित एव शुद्धिकृत

28/5/2017

उपायुक्त,
लोहरदगा

28/5/2017

उपायुक्त,
लोहरदगा।

30/4/14